प्रेसनोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 03.04.2026

➢ **थाना रूरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 02 नाबालिग बालिकाओं को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 10.03.2026 को थाना रूरा पर वादी द्वारा लिखित तहरीर दी, कि दिनांक 05.03.2026 को मेरी दो नाबालिग पुत्रियां एक साथ कपड़ा खरीदने की बात कहकर एक साथ घर से निकली थी। जब देर शाम मेरी दोनो पुत्रियां वापस नही लौटी तो मैने अपनी बड़ी पुत्री के फोन पर सम्पर्क किया तो मुझे बताया हम दोनो बहनें सोनीपत जा रहे है, जब अगले दिन मेरी पुत्रियों द्वारा मुझे विवाह कर लेने के बारे में बताया गया। मेरी पुत्रियां नाबालिग है, मेरी पुत्रियां शिवली बाजार से कन्नौज निवासी विशाल व कृष्णा नाम के व्यक्ति जबरन ले गये है। जिसके सम्बन्ध में थाना रूरा पर मु0अ0सं0 75/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम 1. विशाल पुत्र अज्ञात निवासी कन्नौज, 2. कृष्णा पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात पंजीकृत किया गया। थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए, पीड़िताओं की बरामदगी कर, पीड़िताओं के धारा 180/183 बीएनएसएस के बयान माननीय न्यायालय के समक्ष अंकित कराते हुए, बयान अवलोकन व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1)/65(1) बीएनएस व ¾ एवं ¾(2) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्तगण 1. विशाल पुत्र देवदत्त निवासी ग्राम माधवपुर, थाना ठठिया, जनपद कन्नौज, 2. कृष्णा पुत्र शिवदत्त निवासी ग्राम माधवपुर, थाना ठठिया, जनपद कन्नौज को थाना रूरा गेट के पास से दिनांक 03.04.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण –

1. विशाल उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र देवदत्त निवासी ग्राम माधवपुर, थाना ठठिया, जनपद कन्नौज।
2. कृष्णा उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र शिवदत्त निवासी ग्राम माधवपुर, थाना ठठिया, जनपद कन्नौज।

अभियुक्त विशाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 75/2026 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट, थाना रूरा, कानपुर देहात।

अभियुक्त कृष्णा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 75/2026 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व ¾(2) पॉक्सो एक्ट, थाना रूरा, कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह
2. हे0का0 439 अजय गुप्ता
3. म0का0 1161 शालिनी